:: कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) छिन्दवाडा म०प्र० ::

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

क्रमांक/ 2453 /वनाधिकार/जजाकावि./2021:— छिन्दवाडा दिनांक 22/07/2021

1: प्रमाणित किया जाता है कि जिला छिन्दवाडा तहसील जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत सातग्वारी ग्राम सातग्वारी में स्थित **वनभूमि कम्पार्टमेंट 670 रकबा 1.69 हे0 (लंबाई 2420 मीटर X चौडाई 7.00 मीटर)** भूमि में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाडा द्वारा बोमल्या से सातग्वारी मार्ग लम्बाई 5.60 कि.मी. का सिंगल लेन में डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है। तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण की जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है ।

2: अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत सातग्वारी ग्राम सातग्वारी में स्थित **वनभूमि कम्पार्टमेंट 670 रकबा 1.69 हे0 (लंबाई 2420 मीटर X चौडाई 7.00 मीटर)** भूमि में उसके चारो ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नही है ।

3: यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की प्रतिनिधि ग्राम सभा की बैठक में समक्ष रखा जा चुका है । प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हे स्थानीय भाषा में की चुकी है । कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाडा वनमंडल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव से प्राप्त **प्रतिवेदन, उपखंड स्तरीय समिति की अनुंशसा, वृक्षारोपण हेतु सहमति पत्र, स्थल निरीक्षण पंचनामा, ग्राम सभा का सहमति पत्र, पंचनामा, ग्राम सभा का प्रस्ताव, प्रपत्र 'क' 'ख' खसरा/नक्शा, स्थल पंचनामा ग्राम वन अधिकार समिति की अनुशंसा, स्थल निरीक्षण पंचनामा एवं अन्य अभिलेख संलग्न है ।**

4: प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था ।

5: यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) e के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है ।

6: यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है । अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं पूर्ण की जावेगी ।

T/S.

E.E.

A.E.

कलेक्टर छिन्दवाडा/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति
जिला छिन्दवाडा.

पृ0क्र0/ 2453 /वनाधिकार/जजाकावि./2021 छिन्दवाडा दिनांक 22/07/2021

प्रतिलिपि:—1— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाडा ।
2— मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाडा वनवृत्त छिन्दवाडा ।
3— वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिन्दवाडा वन मंडल छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ ।
4— कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ/स) संभाग छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ ।
5— अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ ।
6— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ ।
8— सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सातग्वारी विकास खंड जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ ।

Office of the Executive Engineer PWD (B/R) Dn. 1 Chhindwara
2225
22/7/21

कलेक्टर छिन्दवाडा/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति
जिला छिन्दवाडा.

Scanned by CamScanner